JAIPUR METRO

आम जन एवं यात्रियों संबंधी अपराध एवं शास्तियाँ

मेट्रो रेल (प्रचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रावधान

अनुभाग	अपराध	दंड/जुर्माना
59 (1)	नशे की हालत या उपद्रव या अभद्रता का कार्य या किसी भी मेट्रो रेल यात्री की सहूलियत में हस्तक्षेप करना	₹500 तक का जुर्माना और भुगतान किराया की जब्ती या गाड़ी से हटाना।
60 & 30 (1)	मेट्रो रेलवे पर आपत्तिजनक (ओफ़ेन्सिव) माल ले जाना या ले जाने का कारण होना	₹500 तक का जुर्माना और इस कारण हुई हानि, क्षति या नुकसान के लिए भी उत्तरदायी होगा
61 & 30 (1)	मेट्रो रेलवे पर खतरनाक माल ले जाना या ले जाने का कारण होना	4 वर्ष तक के कारावास और ₹5000 तक का जुर्माना और इस कारण हुई हानि, क्षति या नुकसान के लिए भी उत्तरदायी होगा
62	किसी भी कक्ष, डिब्बे या परिसर में किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन और इश्तहार चिपकाना, कुछ भी लिखना या चित्रित करना	कक्ष, डिब्बे या परिसर से हटाना एवं छह महीने तक का कारावास या ₹1000 तक का जुर्माना अथवा दोनों
63	मेट्रो रेल की छत इत्यादि पर यात्रा करना	मेट्रो रेल से हटाना और एक महीने तक का कारावास या ₹50 का जुर्माना अथवा दोनों
64 (1)	मेट्रो रेल में गैर कानूनी प्रवेश करना या छोड़ने के लिए अनुरोध पर भी काबिज रहना	तीन महीने तक का कारावास या ₹250 तक का जुर्माना अथवा दोनों
64 (2)	किसी कानूनी प्राधिकार के बिना मेट्रो ट्रैक पर चलना	छह महीने तक कारावास या ₹500 तक का जुर्माना अथवा दोनों
67	मेट्रो रेल की पटरी पर बैठना, पिकेटिंग करना या किसी भी तरीके से मेट्रो रेल संचालन में हस्तक्षेप करना	मेट्रो रेल/परिसर से हटाना/निकालना और 4 साल तक कारावास या ₹5000 तक का जुर्माना अथवा दोनों
68	मेट्रो रेल पदाधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना	1 साल तक का कारावास या ₹1000 तक का जुर्माना अथवा दोनों
69	उचित पास या टिकट के बिना या टिकट पर अधिकृत दूरी से आगे यात्रा करना	जहाँ से मेट्रो रेल आरंभ हुई या अनाधिकृत यात्रा दूरी का साधारण एकल किराया एवं ₹50 की अतिरिक्त राशि का भुगतान उपरोक्त राशि मांगे जाने पर भुगतान नहीं करने की स्थिति में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे जुर्माने के रूप में वसूलने का आदेश और भुगतान न प्राप्त होने पर एक माह तक के कारावास का आदेश भी दिया जा सकता है
70	मेट्रो रेल के संचार के साधनों के साथ अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप या खतरे की घंटी का दुरुपयोग करना	1 साल तक का कारावास या ₹1000 तक का जुर्माना अथवा दोनों
71	पास या टिकट मे बदलाव (अल्टरिंग), विरूपित या जालसाजी करना	छह महीने तक का कारावास
72	मेट्रो रेल द्वारा लगाई गई सार्वजनिक सूचनाओं को विरूपित करना या उखाड़ना	दो महीने तक का कारावास या ₹250 तक का जुर्माना अथवा दोनों

अनुभाग	अपराध	दंड/जुर्माना
73	मेट्रो रेल/परिसर में वस्तुओ की अनाधिकृत बिक्री	₹500 तक का जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर छह माह तक का कारावास
74 (1)	किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से मेट्रो रेल में विध्वंस या तोड़-फोड़ करना	आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठोर कारावास
74 (2)	मेट्रो रेल में किसी भी व्यक्ति को मारने या मारने के इरादे से गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने हेतु विध्वंस या तोड़-फोड़ करना	म्रत्युदंड या आजीवन कारावास.
75	टिकटों की अनाधिकृत बिक्री करना	तीन महीने तक का कारावास या ₹500 तक का जुर्माना अथवा दोनों; और टिकट जब्त करना
76	मेट्रो रेल द्धारा यात्रा कर रहे व्यक्तियों को आहत करने या चोट पहुंचाने के इरादे से मेट्रो रेल पर दुर्भावनापूर्वक कुछ भी फेंकना	आजीवन या 10 वर्ष तक का कारावास
77	उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य या चूक से मेट्रो रेलवे द्धारा यात्रा कर रहे व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना	1 साल तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों
78	मेट्रो रेल संपत्ति जैसे रेल पटरी, चल-स्टॉक, उपकरण, प्रणाली, प्रतिष्ठान, स्टेशन भवन इत्यादि को नष्ट करना या क्षति पहुचाना	10 वर्ष तक का कारावास
79	मेट्रो रेल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना या जानबूझकर या चूक से चल-स्टॉक में बाधा डालना	7 वर्ष तक का कारावास
80	मेट्रो रेल प्रशासन से मुआवजे के लिए झूंठा दावा करना	3 साल तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों

1. जयपुर मेट्रो रेल/परिसर, जिसमें स्टेशन परिसर एवं मेट्रो ट्रेन शामिल हैं, में उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए दंड, जुर्माना, वसूली, जब्ती या हटाने के लिए स्टेशन नियंत्रकों को अधिकृत किया गया है।
2. जयपुर मेट्रो के मानसरोवर डिपो, जिसमे पूरा डिपो परिसर और मेट्रो ट्रेन शामिल हैं, में उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए दंड, जुर्माना, वसूली, जब्ती या हटाने के लिए डिपो नियंत्रक को अधिकृत किया गया है।
3. जयपुर मेट्रो के बिजली उपकेंद्र मानसरोवर और सिंधी कैंप के पूरे परिसर में उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए मानसरोवर और सिंधी कैंप स्टेशनों के स्टेशन नियंत्रक दण्ड लगाने के लिए अधिकृत हैं।
4. स्टेशन अधीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, प्रबंधक (संचालन), प्रबंधक (ट्रेन परिचालन) और प्रबंधक (वाणिज्य) , जयपुर मेट्रो ट्रेनों में उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए दंड लगाने के लिए अधिकृत हैं।

यदि कोई अपराधी अधिकृत जयपुर मेट्रो पदाधिकारी द्धारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करता है या ऐसे प्रकरण जहां जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त कारावास की सजा देना भी नियत किया गया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त जयपुर मेट्रो के अधिकृत पदाधिकारी अपराधियों को रोक कर रखने और न्यायिक अधिकारियों के सामने पेश करने के लिये उन्हें पुलिस को सौंपने के लिए अधिकृत होंगे।

नोट: किसी भी स्पष्टीकरण की स्थिति में इस आदेश के अंग्रेजी संस्करण को अनंतिम माना जायेगा।

आदेश द्धारा

कार्यकारी निदेशक (परिचालन)